

आदेश

कार्यवाही विवरण

37 पत्रावली पेश हुई। वकील बावी/प्राधी उपस्थित नहीं।  
न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई  
गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील बावी/प्राधी  
उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अटक लगायी  
असमर्थपैरवी में स्थित किया जा रहा है। पत्रावली केवल शुभर  
होकार नम्बर से कम हो व दस्तवीस बन्द कर दो।

  
जज अशोक  
उपन्यायाधी